अनुमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

(U/s 145 Cr.P.C.)

वाद संख्या–03/2018

प्रथम पक्ष
सरस्वती देवी

–बनाम्–

द्वितीय पक्ष
सत्यवान नायक

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख सहीत
19.09.2022	अभिलेख उपस्थापित किया गया। प्रथम पक्ष सरस्वती देवी, पति–श्री मधु नायक, पुत्री–स्व0 रंजीत नायक, निवासी, ग्राम+पो0+थाना–कराईकेला, जिला–प0 सिंहभूम ने इस न्यायालय में आवेदन पत्र दाखिल कर सत्यवान नायक, पिता–स्व0 नेत्रो मोहन नायक, निवासी, ग्राम+पो0+थाना–कराईकेला, जिला–प0 सिंहभूम के विरूद्ध निम्नलिखित भूमि विवाद के मद्देनजर दं0प्र0सं0 की धारा–145 के तहत् कार्यवाही प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है।	

विवादित भूमि का विवरणी

मौजा	थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकवा	चौहद्दी
कराईकेला	607	33	2055	0.12.049 ए0	W–काला नायक E–कालीचरण नायक। N–रास्ता S–निमाई, स्व0 अरको कैवर्त।

प्रथम पक्ष के आवेदन पत्र के आलोक में दोनों पक्षों के बीच विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से दं0प्र0सं0 की धारा–145 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय में दिनांक–10.01.2018 को वाद संख्या–03/2018 प्रारंभ की गई।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कथनः–

सुनवाई के दौरान विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रथम पक्ष का पक्ष रखते हुए न्यायालय में बताया गया कि प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे सेटलमेंट खतियान में विद्याधर नायक एवं अन्य के नाम से दर्ज है। खतियानी रैयत विद्याधर नायक प्रथम पक्ष का ससुर है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। खतियानी भूमि का खतियानी रैयतों के बीच सौहाद्रपूर्ण तरीके से बंटवारा हो चुका है तत्पश्चात् खतियानी रैयत के कानूनी उत्तराधिकारी का दखल–कब्जा है एवं कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा अपने–अपने हिस्से की भूमि पर कृषि कार्य किया जा रहा है। प्रथम पक्ष

को प्रश्नगत भूमि आपसी बंटवारा के आधार पर प्राप्त हुआ है। इस न्यायालय में प्रथम पक्ष सरस्वती देवी एवं इसके चचेरे भाई ने द्वितीय पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि पर किये जा रहे निर्माण के कार्य पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया गया एवं दिनांक–14.10.2017 को कार्यवाही प्रारंभ की गई। कालबाधा के मद्देनजर यह कार्यवाही बिना गुण–दोष पर विचार किये बिना ही यह कार्यवाही समाप्त हो गई थी। दं0प्र0सं0 की धारा–144 के तहत् कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् द्वितीय पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि पर कब्जा करने के नियत से अवैध निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। अधिवक्ता का कहना है कि प्रथम पक्ष सरस्वती देवी प्रश्नगत भूमि का एक मात्र भू–स्वामी है एवं प्रश्नगत भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल–कब्जा है। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रश्नगत भूमि बलपूर्वक कब्जा करना चाहता है।

उक्त के आलोक में अधिवक्ता द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रश्नगत भूमि पर जाने एवं निर्माण कार्य पर रोक लगाने हेतु न्यायालय से अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कथनः–

द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि हाल सर्वे सेटलमेंट खतियान के कैफियत कॉलम में 1958 से बलात दखल नेत्रो मोहन नायक, पिता–गुरूचरण नायक, जाति–भुईयाँ, निवासी–निज ग्राम दर्ज है। द्वितीय पक्ष सत्यवान नायक बलात दखलकार नेत्रो मोहन नायक का पुत्र है। प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष का वर्तमान में भी दखल–कब्जा कायम है एवं पूर्व से ही प्रश्नगत भूमि पर मकान निर्मित है। अधिवक्ता का कहना है कि अंचल अधिकारी, बन्दगाँव के जाँच प्रतिवेदन में भी उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्ष का दखल–कब्जा है।

उक्त के आलोक में द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता द्वारा इस कार्यवाही को समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, बन्दगाँव का जाँच प्रतिवेदनः–

इस कार्यालय के पत्रांक–131/न्या0, दिनांक–17.05.2018 के आलोक में अंचल अधिकारी, बन्दगाँव के पत्रांक–103, दिनांक–08.06.2018 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, बन्दगाँव ने अपने जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा–कराईकेला, थाना नं0–607, खाता नं0–33, खेसरा संख्या–2055, रकवा–0.12.049 एकड़ को लेकर प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष के बीच विवाद है। उपरोक्त विवरणी भूमि हाल सर्वे सेटलमेंट

खतियान में काला नायक, पिता–राजु नायक एक अंश विद्याधर नायक, पिता–काशी नायक एक अंश जगरनाथ नायक तथा कालीचरण नायक, पिता–गोदा नायक एक अंश, अंश समान जाति भूईयां, निवासी–निजग्राम दर्ज है। प्रथम पक्ष खतियानी रैयत की पौत्री है तथा उक्त खतियान के खेसरा संख्या–2055, रकवा–0.12.049 एकड़ भूमि खतियान के कैफियत कॉलम में बलात दखल नेत्रो मोहन नायक, पिता–गुरू चरण नायक, जाति–भूईयां, निवासी–निजग्राम, अवधि सन् 1958 ई0 दर्ज है। द्वितीय पक्ष बलता दखलकार नेत्रो मोहन नायक के पुत्र है उक्त भूमि पर वर्तमान में द्वितीय पक्ष श्री सत्यनारायण नायक का दखल–कब्जा है।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुनने, गवाहों के प्रतिपरीक्षण एवं अंचल अधिकारी, बन्दगाँव के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचती है कि वर्तमान में द्वितीय पक्ष का प्रश्नगत भूमि पर दखल–कब्जा कायम है।

अतएव यह न्यायालय प्रथम पक्ष को वाद भूमि पर जाने से निषेध करती है। यह आदेश तबतक प्रभावी रहेगा जबतक कि इस आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय/प्राधिकार द्वारा किसी प्रकार का आदेश/निदेश पारित नहीं की जाती है। प्रथम पक्ष द्वारा इस आदेश का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में भा0दं0सं0 (I.P.C) की धारा–188 के तहत् कार्रवाई की जायेगी।

प्रथम पक्ष चाहे तो इस आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय/प्राधिकार में अपील दायर कर सकते हैं। सक्षम न्यायालय/प्राधिकार द्वारा पारित आदेश प्रभावी होगा।

अतएव इस मुकदमे की कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

19.09.2022

अनुमण्डल पदाधिकारी
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

Digitally signed by REENA HANSDAK
Date: 2023.01.19 14:21:52 +05:30
Location: 192.168.181.135